राम विलास पासवान
RAM VILAS PASWAN

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001
MINISTER
FOR CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001

अ.शा. पत्र संख्या – एस-10/1/2015-ई.सी.आर.एंड ई./4494

24 AUG 2015

हाल ही में, प्याज की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली है। जबकि, अधिकांश बाजारों में कीमतों में भारी वृद्धि मांग-आपूर्ति में अंतर लाने वाले विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप हुई है, थोक के साथ-साथ खुदरा, दोनों, व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण यह स्थिति और बदतर हो गई है। दिनांक 07.07.2015 को आयोजित, सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में भी जमाखोरी-रोधी कार्रवाई करने और चोरबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के संबंध में भी चर्चा की गई थी। आम राय से यह सहमति हुई कि राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने और जमाखोरी-रोधी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, संचलन और कीमतों को विनियमित करने के संबंध में निर्णय लेने तथा केंद्र सरकार की सहमति के बाद इसे अधिसूचित करने की शक्तियां दिनांक 09.06.1978 के आदेश द्वारा पहले ही राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं।

2. केंद्र सरकार ने, प्याज पर भंडारण सीमाएं निर्धारित करने और आम जनता को उचित मूल्यों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 03.07.2014 को आदेश जारी किए हैं जो कि 02.07.2016 तक वैध हैं। राज्य सरकार, राज्य में प्याज को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए प्याज के व्यापार से संबंधित व्यापारियों, बिचौलियों और प्याज के भंडारण को तत्काल विनियमित करे।

3. मैं आभारी होऊंगा, यदि आप इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और प्याज की कीमतों को कम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करने सहित हर संभव उपाय सुनिश्चित करेंगे।

सादर,

आपका,

(राम विलास पासवान)

सेवा में,
मुख्यमंत्री जी

जारी किया गया
ISSUED